संख्या- 13/2016/डी383/38-2-2016-2(17)डी/2016

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 18 जुलाई, 2016

विषय:- जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में सीधी भर्ती से नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों का ग्राम्य विकास विभाग में संविलियन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में सीधी भर्ती से नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को ग्राम्य विकास विभाग में तात्कालिक प्रभाव से इस शर्त के साथ संविलियित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिकों को ग्राम्य विकास विभाग में संविलियन किये जाने के उपरान्त प्रतिनियुक्ति पर माना जायेगा। इन कार्मिकों के संवर्ग को "डाईंग कैडर" घोषित करते हुए नयी पेंशन योजना वर्ष 2005 से आच्छादित करने एवं संविलियन के फलस्वरूप कोई भी लाभ पूर्वगामी तिथि से न दिये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिक से विकल्प प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। यदि किसी कर्मी को यह विकल्प स्वीकार नहीं है तो उसे पूर्व की भाँति सोसाइटी का कर्मी बने रहने का विकल्प रहेगा। उक्त शर्तों के अधीन जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के सीधी भर्ती के नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों, जिनकी संख्या लगभग-995 है, को ग्राम्य विकास विभाग में संविलियन किया जाता है।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-2/622-दस-2016 दिनांक 11 जुलाई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

दीपक त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

संख्या-सा0- 13/2016/डी383 (1)/38-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- सचिव (डीआरडीए प्रशासन) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3- समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
4- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
6- समस्त जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7- समस्त परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, उ0प्र0।
8- कार्मिक अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (वेतन आयोग) अनु0-2
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रभात कुमार श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in